रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 236] नई दिल्ली, बुधवार, जुलाई 14, 1976/आषाढ़ 23, 1898
No. 236] NEW DELHI, WEDNESDAY, JULY 14, 1976/ASADHA 23, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

DEPARTMENT OF REVENUE AND BANKING

(Revenue Wing)

NOTIFICATION

CENTRAL EXCISES

New Delhi, the 14th July, 1976

G.S.R. 453(E).—In exercise of the powers conferred by sub-sections (2) and (3) of section 3 of the Central Excises and Salt Act, 1944 (1 of 1944) and of all other powers hereunto enabling, the Central Government hereby rescinds the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue and Insurance) No. 75/75-Central Excises, dated the 5th March, 1975.

[No. 213/76]

G. S. MAINGI, Under Secy.

राजस्व और बैंकिंग विभाग

(राजस्व पक्ष)

अधिसूचना

केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क

नई दिल्ली, 14 जुलाई, 1976

सा० का० नि० 453 (अ).—केन्द्रीय सरकार, केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क और नमक अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 3 की उपधारा (2) और (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों और उसे इस निमित्त समर्थ बनाने वाली सभी अन्य शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व और बीमा विभाग) की अधिसूचना सं० 75/75—केन्द्रीय उत्पाद-शुल्क, तारीख 5 मार्च, 1975 को विखण्डित करती है ।

[सं० 213/76—के०उ०शु०]

जी० एस० मैंगी, अवर सचिव ।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा
मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976